(108)

संख्याः- 40 /XXVII(1)/2011

प्रेषक,

आर0सी0 अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 17 जनवरी, 2012

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में समस्त नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2011–12 की तृतीय किश्त (तृतीय त्रैमास) किश्त से माह–जनवरी, 2012 हेतु धनराशि का तदर्थ अधार पर संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार समस्त नगर पालिका परिषदों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की चतुर्थ किश्त (चतुर्थ त्रैमास) किश्त से माह–जनवरी, 2012 हेतु तदर्थ आधार पर **₹ 63921000.00 (₹ छः करोड़ उन्नचालीस लाख इक्कीस हजार मात्र)** संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव।

संख्याः– 410 (1)/XXVII(1)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने तक वितीय वर्ष 2011–12 हेतु नगरपालिकाओं को चतुर्थ किश्त से प्रथम माह (जनवरी, 2012) हेतु अवमुक्त धनराशि

(धनराशि हजार ₹में)

क0स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	चतुर्थ किश्त	चतुर्थ किश्त से प्रथम माह (जनवरी) हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
1–नगर पालिका परिषद			
1	उत्तरकाशी	7495.00	2498
2	जोशीमठ	5678.00	1892
3	चमोली / गोपेश्वर	7362.00	2454
4	नई टिहरी	8509.00	2836
5	नरेन्द्र नगर	1753.00	584
6	मसूरी	21946.00	7315
7	विकासनगर	2097.00	699
8	ऋषिकेश	9830.00	3276
9	कोटद्वार	6490.00	2163
10	श्रीनगर	3659.00	1219
11	पौड़ी	8825.00	2941
12	टनकपुर	2820.00	940
13	रामनगर	4620.00	1540
14	नैनीताल	12140.00	4046
15	जसपुर	5016.00	1672
16	काशीपुर	11046.00	3682
17	बाजपुर	2662.00	887
18	गदरपुर	2521.00	840
19	रूद्रपुर	17350.00	5783
20	किच्छा	4144.00	1381
21	सितारगंज	3252.00	1084
22	खटीमा	3340.00	1113
23	रूड़की	11251.00	3750
24	मंगलौर	3393.00	1131
25	पिथौरागढ़	10201.00	3400
26	अल्मोड़ा	5606.00	1868

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	चतुर्थ किश्त	चतुर्थ किश्त से प्रथम माह (जनवरी) हेतु अवमुक्त धनराशि
1	*2*	*3*	*4*
27	बागेश्वर	2714.00	904
28	रूद्रप्रयाग	4673.00	1557
29	दुग्गड्डा	590.00	196
30	भवाली	812.00	270
योगः–		**191795.00**	**63921.00**

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।